



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276563
CG-DL-E-28092026-276563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5112]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 5112]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026

का.आ. 5319(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2721(अ), दिनांक 07.07.2021 के द्वारा तेलंगाना राज्य में स्थित एनएच-930पी को तेलंगाना राज्य सरकार के सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसमें आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा तेलंगाना राज्य में एनएच-930पी के डिजाइन चैनेज किमी 39/180 से किमी 108/300 तक वालीगोंडा से थोरूर खंड के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 0.420 किमी निवल सड़क खंड लंबाई [तालिका -2] और 1.460 किमी (0.146 किमी की संरचना लंबाई वाली) (तालिका-3) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर तथा 68.112 किमी निवल सड़क खंड लंबाई और 4.420 किमी (0.442 किमी की संरचना लंबाई वाली) [तालिका -3] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के 60% पर फीस उदगृहीत करती है।

तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस का आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत की जाने वाली फीस ऐसे फीस प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है [संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	दर, जिस पर फीस संदेय है
तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरि जिले में चौल्लारामाराम गांव में एनएच-930पी के किमी 76.100 पर	68.112 किमी	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	0.420 किमी	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है।
तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरि जिले में चौल्लारामाराम गांव में एनएच-930पी के किमी 76.100 पर	0.442	4.420	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

	0.146	1.460	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
--	-------	-------	--

[^] ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी से		
1	81.999	82.441	बड़ा पुल (पेब्ड शोल्डर सहित 2 लेन)	0.442
2	99.849	99.995	बड़ा पुल (4 दो लेन)	0.146

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और फीस प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.00 रु. (तीन सौ साठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चलाए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत **447.16 करोड़ रु.** है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को पूरा किया जाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एचवाईडी/एनएच-930पी/किमी40-108/हैदराबाद/(ई-199839)]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2026

S.O. 5319(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2721(E) dated 07.07.2021, issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956(48 of 1956), the Central Government has entrusted the NH-930P in the state of Telangana to the State Government of Telangana.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008 (herein referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 0.420 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.460 km (having length of structure of 0.146 kms [Table-3]) for the use of four or more lane section and at sixty percent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 68.112 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 4.420 km (having length of structure of 0.442 kms [Table-3]) for the use of two lane with paved shoulder section, on type on vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, of Valigonda to Thorur section from design chainage km 39/180 to km 108/300 of NH 930P in the State of Telangana and authorises National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable [Excluding length of structures (>60m)]	Rate at which fee is payable
At Km 76.100 of NH-930P at Choullaramaram village in Yadadri Bhuvanagiri District of Telangana	68.112 Km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.420 Km	100% for 4 or more lane of base rates mentioned in table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 76.100 of NH-930P at Choullaramaram village in Yadadri Bhuvanagiri District of Telangana	0.442	4.420	60% for two lane with paved shoulders of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.146	1.460	100% for four or more lane with paved shoulders of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

S.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km.	To Km		
1	81.999	82.441	Major Bridge (2LPS)	0.442
2	99.849	99.995	Major Bridge (4L)	0.146

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs.360.00 (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-Four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is **Rs. 447.16 Cr.** The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RW/HYD/NH-930P/km40-108/Hyderabad/ E-199839]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.